नोटिस - निम्नलिखित पदों के संबंध में पेन एवं पेपर आधारित सम्मिलित भर्ती परीक्षण (ओएमआर आधारित भर्ती परीक्षण) हेतु प्रवेश पत्रः

विषय: निम्नलिखित भर्ती हेतु सम्मिलित भर्ती परीक्षण:

(i) आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सहायक प्रोफेसर / लेक्चरर (शरीर रचना विज्ञान) के पद हेतुछह रिक्तियां(अ.ज.जा-01, अ.पि.व.-01, ईडब्ल्यूएस-01, अना.-03) (पीडब्ल्यूबीडी - 01)*[विज्ञापन सं. 11/2023,रिक्ति सं. 23061105110]

(ii) आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सहायक प्रोफेसर / लेक्चरर (सामुदायिक चिकित्सा) के पद हेतुचार रिक्तियां(अ.जा-01, अ.पि.व.-02, अना.-01) [विज्ञापन सं. 1 1/2023,रिक्ति सं. 23061106110]

(iii) आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सहायक प्रोफेसर / लेक्चरर (प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान) के पद हेतुचार रिक्तियां(अ.जा-01, अ.पि.व.-02, अना.-01) [विज्ञापन सं. 1 1/2023,रिक्ति सं. 23061108110]

(iv) आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार मेंसहायक प्रोफेसर / लेक्चरर (विकृति विज्ञान एवं सूक्ष्म जीव-विज्ञान) के पद हेतुचार रिक्तियां(अ.ज.जा-01, अ.पि.व.-01, ईडब्ल्यूएस-01, अना.-01)[विज्ञापन सं. 11/2023,रिक्ति सं. 23061114110]

(v) आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार मेंसहायक प्रोफेसर / लेक्चरर (जैव रसायन सहित शरीर क्रिया विज्ञान)के पद हेतुपांच रिक्तियां(अ.जा-01, अ.पि.व.-01, ईडब्ल्यूएस-01, अना.-02) (पीडब्ल्यूबीडी-01) *[विज्ञापन सं. 11/2023,रिक्ति सं. 23061113110]

(vi)आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सहायक प्रोफेसर / लेक्चरर (न्याय वैद्यकीय एवं विष-विज्ञान) के पद हेतुचार रिक्तियां(अ.जा-01, अ.पि.व.-01,अना.-02) [विज्ञापन सं. 1 1/2023,रिक्ति सं. 23061107110]

(vii)आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सहायक प्रोफेसर / लेक्चरर (शल्य विज्ञान) के पद हेतुचार रिक्तियां(अ.जा-01, अ.पि.व.-01, अना.-02)[विज्ञापन सं. 11/2023,रिक्ति सं. 23061116110]

(viii)आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार मेंसहायक प्रोफेसर / लेक्चरर (चिकित्सा अभ्यास) के पद हेतुसात रिक्तियां(अ.जा-

01, अ.ज.जा-01, अ.पि.व.-02, ईडब्ल्यूएस-01, अना.-02) [विज्ञापन सं. 11/2023,रिक्ति सं. 23061112110]

****

नोटिस

संघ लोक सेवा आयोग उपर्युक्त पदों पर भर्ती के लिए **दिनांक 09.03.2024(शनिवार) (पूर्वाहन सत्र) को पूर्वाहन 09.30 बजे से पूर्वाहन11.30 बजे तक** देशभर के चौदह केन्द्रों पर पेन एवं पेपर आधारित सम्मिलित भर्ती परीक्षण (ओएमआर आधारित भर्ती परीक्षण) का आयोजन करेगा। उम्मीदवार द्वारा परीक्षण केन्द्र पर रिपोर्ट करने का समय परीक्षण प्रारंभ होने से एक घंटा पहले है। आयोग ने प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों की सुविधा के लिए पेन एवं पेपर आधारित भर्ती परीक्षण (ओएमआर आधारित भर्ती परीक्षण) हेतु ई-प्रवेश-पत्र (अथवा अस्वीकृत आवेदन पत्रों के संबंध में आवेदन पत्र को अस्वीकृत किए जाने के कारण/आधार) अपनी वेबसाइट (http://www.upsc.gov.in) पर अपलोड किए हैं।उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें।भर्ती परीक्षण (ओएमआर आधारित भर्ती परीक्षण) मेंप्रवेश दिए गए उम्मीदवारों को परीक्षण-स्थल पर प्रवेश लेने के लिए अपने ई-प्रवेश पत्र के प्रिंटआउट प्रस्तुत करना होगा। जिन उम्मीदवारों की फोटो ई-प्रवेश पत्र पर स्पष्ट नहीं है, उन्हें भर्ती परीक्षण में प्रवेश के लिए अपने साथ पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ सहित परिवचन तथा अपनी फोटो पहचान का कोई मूल प्रमाण जैसे आधार कार्ड , ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र आदि लाना होगा।इस भर्ती परीक्षण के लिए आयोग द्वारा कोई कागजी प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

उम्मीदवारोंको सलाह दी जाती है कि वे अपने ई-प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट निकाल लें। किसी प्रकार की विसंगति के मामले में , तत्काल आयोग को सूचित किया जाए , जिससे आयोग इस मामले में निर्णय ले सके। किसी प्रकार की कठिनाई आने पर उम्मीदवार, संघ लोक सेवा आयोग के सुविधा केन्द्र के टेलीफोन नं. 011-23381125 , 23385271 तथा 23098543 पर सभी कार्यदिवसों मेंप्रात: 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।

फा.सं.1/57(27)/2023-भ-I/एसपीसी-II एवं 7 अन्य

संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती शाखा

विशेष प्रकोष्ठ–II अनुभाग

विषय: निम्नलिखित भर्ती हेतु सम्मिलित भर्ती परीक्षण:

(i) आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सहायक प्रोफेसर / लेक्चरर (शरीर रचना विज्ञान) के पद हेतुछह रिक्तियां(अ.ज.जा-01, अ.पि.व.-01, ईडब्ल्यूएस-01, अना.-03) (पीडब्ल्यूबीडी - 01)*[विज्ञापन सं. 11/2023,रिक्ति सं. 23061105110]

(ii) आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार मेंसहायक प्रोफेसर / लेक्चरर (सामुदायिक चिकित्सा) के पद हेतुचार रिक्तियां(अ.जा-01, अ.पि.व.-02, अना.-01)[विज्ञापन सं. 11/2023,रिक्ति सं. 23061106110]

(iii) आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार मेंसहायक प्रोफेसर / लेक्चरर (प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान)के पद हेतुचार रिक्तियां(अ.जा-01, अ.पि.व.-02, अना.-01)[विज्ञापन सं. 11/2023,रिक्ति सं. 23061108110]

(iv) आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार मेंसहायक प्रोफेसर / लेक्चरर (विकृति विज्ञान एवं सूक्ष्म जीव-विज्ञान)के पद हेतुचार रिक्तियां(अ.ज.जा-01, अ.पि.व.-01, ईडब्ल्यूएस-01, अना.-01)[विज्ञापन सं. 1 1/2023,रिक्ति सं. 23061114110]

(v) आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार मेंसहायक प्रोफेसर / लेक्चरर (जैव रसायन सहित शरीर क्रिया विज्ञान)के पद हेतुपांच रिक्तियां(अ.जा-01, अ.पि.व.-01, ईडब्ल्यूएस-01, अना.-02) (पीडब्ल्यूबीडी-01) *[विज्ञापन सं. 11/2023,रिक्ति सं. 23061113110]

(vi)आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार मेंसहायक प्रोफेसर / लेक्चरर (न्याय वैद्यकीय एवं विष-विज्ञान)के पद हेतुचाररिक्तियां(अ.जा-01, अ.पि.व.-01,अना.-02)[विज्ञापन सं. 11/2023,रिक्ति सं. 23061107110]

(vii)आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार मेंसहायक प्रोफेसर / लेक्चरर (शल्य विज्ञान) के पद हेतुचार रिक्तियां(अ.जा-01, अ.पि.व.-01, अना.-02)[विज्ञापन सं. 11/2023,रिक्ति सं. 23061116110]

(viii)आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार मेंसहायक प्रोफेसर / लेक्चरर (चिकित्सा अभ्यास) के पद हेतुसात रिक्तियां(अ.जा-01, अ.ज.जा-01, अ.पि.व.-02, ईडब्ल्यूएस-01, अना.-02)[विज्ञापन सं. 11/2023,रिक्ति सं. 23061112110]

समय-सारणी एवं उम्मीदवारों के लिए अनुदेश

कृपया निम्नलिखित अनुदेशों कोध्यानपूर्वक पढ़ लें, किसी भी अनुदेश का उल्लंघन किए जाने पर उम्मीदवार के विरुद्ध आयोग के विवेकानुसार कार्रवाई की जा सकती है। ***{उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अनुदेशों की यह प्रति संदर्भ के लिएपरीक्षण (भर्ती परीक्षण)हॉल में साथ लाएं}।***

समय-सारणी

तारीख तथा दिन	भारतीय मानक समय	विषय और विषय का कोड
09 मार्च, 2024 (शनिवार)(पूर्वाह्न)	**पूर्वाह्न 09.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे तक**	**चिकित्सा विज्ञान(01)**

टिप्पणी:

परीक्षा केन्द्र पर उम्मीदवारों के रिपोर्ट करने का समय परीक्षण प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 1 घंटा पहले है।

परीक्षण-स्थल पर प्रवेश, भर्ती परीक्षण के प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले, अर्थात् पूर्वाह्न 09.00 बजेबंद कर दिया जाएगा।

उम्मीदवार परीक्षा भवन में प्रवेश के लिए परीक्षण हॉल में अपने ई-प्रवेश पत्र की मुद्रित प्रति (प्रिंटआउट) अवश्य साथ लाएं।

I.परीक्षण की योजना:

क. परीक्षण दो घण्टे की अवधि का होगा।

ख. सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे।

ग. परीक्षण में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहु-विकल्पीय उत्तर वाले प्रश्न होंगे।

घ. परीक्षण का माध्यम केवल अंग्रेजी होगा|

ड़. गलत उत्तरों के लिये ऋणात्मक अंकों का प्रावधान होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये उस प्रश्न के कुल अंकों के एक तिहाई अंक काट लिये जाएंगे। यदि किसी प्रश्न के लिये कोई उत्तर नहीं चुना जाता है तो उस प्रश्न के लिये कोई दंड नहीं होगा।

च. उक्त परीक्षण अधिकतम 300 अंकों का होगा।

II परीक्षण का पाठ्यक्रम:

1. चिकित्सा में अभ्यास (बाल रोग विज्ञान)
2. प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान
3. शल्य विज्ञान
4. शरीर रचना विज्ञान
5. सूक्ष्म जीवी विज्ञानएवंविकृति विज्ञान
6. शरीर क्रिया विज्ञान एवं जीव रसायन
7. न्याय वैद्यकीय एवं विष विज्ञान
8. निरोधक एवं सामाजिक चिकित्सा

III. परीक्षण का वेटेज:

सम्मिलित भर्ती परीक्षण के आधार पर लघु सूचीबद्ध किए गए तथा साक्षात्कार में सफल उम्मीदवारों के लिए सम्मिलित भर्ती परीक्षण और साक्षात्कार का वेटेज 75:25 होगा।

महत्वपूर्ण टिप्पणियां:

(क) उम्मीदवार उसी परीक्षण-स्थल पर परीक्षण दें, जिसका उल्लेख उनके ई-प्रवेश पत्र में किया गया है। यदि उम्मीदवार किसी और परीक्षण-स्थल पर परीक्षण देता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

(ख)सम्मिलित भर्ती परीक्षण में लघु-सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों के संबंध में संवीक्षा, संबंधित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र (ओआरए) को भरते समय उनके द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर की जाएगी। तथापि, आवश्यकता पड़ने पर उम्मीदवारों को, छूट गए दस्तावेजों को ई-मेल के माध्यम से

भेजने के लिए कहा जाएगा। उनके दस्तावेजों की जांच की जाएगी और उक्त पदों हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

(ग) उम्मीदवारों को निदेश दिया जाता है कि वे अपनी जिम्मेदारी पर भर्ती परीक्षण दें अर्थात् वे इस बात की पुष्टि कर लें कि वे विज्ञापन में निर्धारित अर्हताओं को पूरा कर रहे हैं और परीक्षण में उनका प्रवेश पूर्णतया "अनंतिम" है।

<u>उम्मीदवारों को अनुदेश</u>

<u>ई-प्रवेश पत्र</u>:

1. **आयोग की परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के ई-प्रवेश पत्र, परीक्षा की तारीख के एक सप्ताह पहले जारी किए जाएंगे।**

1.1 ई-प्रवेश पत्र को डाउनलोड करने के तत्काल बाद उम्मीदवार इसकी ध्यानपूर्वक जांच करें और विसंगतियां, यदि कोई हों, पाए जाने पर उन्हें अविलंब संघ लोक सेवा आयोग के ध्यान में लाएं। परीक्षण के विषय पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। विसंगतियों के मामले में प्रयास किए जाएंगे कि संशोधित ई-प्रवेश पत्र यथाशीघ्र अपलोड कर दिए जाएं। उम्मीदवार ई-प्रवेश पत्र पर उल्लिखित महत्वपूर्ण अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। परीक्षा हॉल में प्रवेश करने के लिए उम्मीदवार अपने ई-प्रवेश पत्र की मुद्रित प्रति (प्रिंट आउट) साथ लेकर आएं। जिन उम्मीदवारों के ई-प्रवेश-पत्र पर फोटो स्पष्ट नहीं है, वे भर्ती परीक्षण में प्रवेश के लिए अपने साथ पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ और परिवचन सहित अपना फोटो पहचान-पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान-पत्र आदि साथ लाएं।**जो उम्मीदवार आबंटित परीक्षा-स्थल पर जांच हेतुअपना ई-प्रवेश पत्रप्रस्तुत नहीं करेगा, उसे परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

1.2 ई-प्रवेश-पत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी उम्मीदवार की है। यदि कोई अन्य व्यक्ति परीक्षा हॉल में प्रवेश करने के लिए इस ई-प्रवेश-पत्र का इस्तेमाल करता है तब यह प्रमाणित करने का दायित्व उम्मीदवार का होगा कि उसने किसी प्रतिरूपधारक की सेवा नहीं ली है और उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी तथा उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

1.3उम्मीदवार को अपने साथ केवल ई-प्रवेश पत्र, कलम, पहचान-पत्र, स्वयं के फोटो की प्रतियां और ई-प्रवेश पत्र के अनुदेशों में उल्लिखित कोई अन्य सामग्री को ही लाने की अनुमति होगी।

1.4 उम्मीदवार ई-प्रवेश पत्र परीक्षण हॉल में अवश्य लाएं। परीक्षण हॉल में प्रवेश करने के बाद, उम्मीदवार दिए गए अनुदेशों के अनुसार उपस्थिति सूची भरें और उसमें हस्ताक्षर करें। यह सूची उन्हें निरीक्षक द्वारा प्रदान की जाएगी। हस्ताक्षर करने के बाद उम्मीदवार उपस्थिति सूची, निरीक्षक को सौंप दें।

1.5 उम्मीदवारों को कच्चे काम के लिए उत्तर पुस्तिका के विनिर्दिष्ट स्थान में उपलब्ध कराए गए निर्धारित स्थान का ही प्रयोग करना होगा। कच्चे काम के लिए प्रवेश-पत्र की प्रति अथवा अन्य कोई जगह/शीट आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

1.6 किसी भी अनुदेश (शों) का उल्लंघन किए जाने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त किए जाने के साथ-साथ, आयोग द्वारा उम्मीदवारके विरुद्ध परीक्षण की नियमावली के अंतर्गत कोई अन्य उचित कार्रवाई भी की जा सकती है।

भर्ती परीक्षण का आयोजन:

2. उम्मीदवारों के बैठने की योजना भर्ती परीक्षण के दिन परीक्षण-स्थल पर प्रदर्शित की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा हॉल/कक्ष तक जाने से पहले इस बात की जांच कर लें कि उनके बैठने का स्थान कहां निर्धारित किया गया है।

2.1 उम्मीदवारों को उन्हें प्रदान की गई ओएमआर शीट की क्रम संख्या और परीक्षण पुस्तिका की क्रम संख्या और श्रृंखला का अंकन, निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई उपस्थिति सूची में करना होगा।

2.2 उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे फ्रिस्किंग हेतु, परीक्षण-स्थल पर पर्याप्त समय रहते पहुंचें। उम्मीदवारों को परीक्षण प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 60 मिनट/1 घंटा पहले परीक्षा भवन में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके बाद उम्मीदवार अपने अनुक्रमांक के अनुसार निर्धारित सीट पर तत्काल बैठ जाएंगे।

2.3 उम्मीदवार परीक्षण पुस्तिका में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर अंकित करेंगे।

2.4 ओएमआर शीट की आपूर्ति, परीक्षा हॉल में निरीक्षक द्वारा की जाएगी। उम्मीदवारों को कच्चे काम के लिए अलग से कोई शीट प्रदान नहीं की जाएगी क्योंकि कच्चे कार्य के लिए खाली शीटें, परीक्षण पुस्तिका के अंत में संलग्न की गई हैं।

2.5 उम्मीदवार काले बॉल पॉइंट पेन से, उपयुक्त गोले को काला करके, स्वयं उत्तरों का अंकन करेंगे। किसी भी परिस्थिति में उम्मीदवार को उत्तरों का अंकन करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की मदद लेने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

2.6 उम्मीदवार न तो किसी अन्य उम्मीदवार के पेपर से नकल करेंगे, ना ही अपने पेपर से नकल करने की अनुमति देंगे। किसी भी प्रकार की अनुचित सहायता प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। ओएमआर शीट पर किसी और प्रकार का निशान **नहीं** लगाया जाना चाहिए।

2.7 कोई भी उम्मीदवार **ड्यूटी पर तैनातनिरीक्षक/पर्यवेक्षक** की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रयोजन से परीक्षण हॉल के बाहर नहीं जाएगा।

2.8 शौचालय जाते समय उम्मीदवार अपनी ओएमआर शीट को पलट कर रखेगा।**इसके अतिरिक्त, परीक्षा-स्थल का एक कार्मिक उम्मीदवार की जांच करेगा कि उसके पासकोई अनावश्यक सामग्री यथा मोबाइल, पेपर, प्रश्न पुस्तिका का कोई फटा हुआ कागज़ आदि तो नहीं है और परीक्षा-स्थल का एक कार्मिक उसके साथ जाना चाहिए। इसके अलावा, परीक्षा के आयोजन के दौरान उम्मीदवारों पर नजर रखने तथा उनके द्वारा शौचालय में बिताए जा रहे समय के संबंध में निगरानी हेतु परीक्षा-स्थल के प्रत्येक शौचालय के बाहर एक कार्मिक तैनात किया जाना चाहिए।**

2.9 आबंटित समय के पूरा होने से पहले किसी भी उम्मीदवार को परीक्षण हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2.10 किसी भी उम्मीदवार को परीक्षण के अंतिम 30 मिनट के दौरान शौचालय जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

2.11 परीक्षण प्रारंभ होने के समय तथा इसकी आधी अवधि पूरी होने पर और फिर समय समाप्ति से पांच मिनट पहले सिग्नल दिया जाएगा। परीक्षण का आबंटित समय समाप्त होने के समय अंतिम सिग्नल भी दिया जाएगा। पेपर के लिए आबंटित समय समाप्त होने के बाद कोई भी उम्मीदवार अपने उत्तरों का अंकन अथवा उनमें संशोधन नहीं करेगा।

2.12 भर्ती परीक्षण संपन्न होने के बाद उम्मीदवार तब तक अपनी सीट पर बने रहेंगे जब तक कि उनकी ओएमआर शीट निरीक्षक द्वारा ले नहीं ली जाती और उन्हें बाहर जाने की अनुमति प्रदान नहीं कर दी जाती। आबंटित समय के पूरा होने के बाद उम्मीदवार आपस में बातचीत नहीं करेंगे।

2.13 परीक्षा हॉल/कक्ष से बाहर निकलने के बाद उम्मीदवार परीक्षण हॉल/कक्ष के ठीक बाहर भीड़ नहीं करेंगे या घूमेंगे-फिरेंगे नहीं।

2.14 परीक्षण हॉल/ कक्ष में पूरे समय शांति बनाए रखें।

2.15 उम्मीदवार परीक्षण पुस्तिका के कवर पर तथा ओएमआर शीट में दिए गए अनुदेशों के साथ-साथ ऐसे सभी अनुदेशों का अनुपालन करेंगे, जो पर्यवेक्षक/निरीक्षक द्वारा परीक्षण के दौरान दिए जा सकते हैं। यदि उम्मीदवार ऐसा करने में विफल रहता है अथवा अव्यवस्था फैलाता है या अनुचित आचरण करता है, तो उसे परीक्षण से निष्कासित किया जा सकता है तथा/अथवा आयोग के विवेकानुसार उसके विरुद्ध कोई अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है।

2.16 उम्मीदवार, परीक्षा भवन में निरीक्षक/ सहायक पर्यवेक्षक/ पर्यवेक्षक/ इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मांगी गई आवश्यक और सही सूचनाएं प्रदान करेंगे।

ओएमआर/परीक्षण पुस्तिकाओं को हैंडल करने के संबंध में अनुदेश:

3.1 ओएमआर शीट पर निर्धारित स्थान पर काले बॉल पॉइंट पेन से केंद्र, विषय, विषय कोड, परीक्षण पुस्तिका की श्रृंखला तथा अपना अनुक्रमांक स्पष्ट रूप से अंकित करें। ओएमआर शीट में इस प्रयोजनार्थ प्रदान किए गए गोलों में काले बॉल पॉइंट पेन से पुस्तिका की श्रृंखला, विषय कोड तथा अपने अनुक्रमांक का अंकन करें।

3.2 परीक्षण पुस्तिका की श्रृंखला, परीक्षण पुस्तिका के ऊपरी हिस्से के दाएं कोने पर दी गई है। ओएमआर शीट के ऊपरी हिस्से में दिए बॉक्स पर इस बात का स्पष्ट रूप से अंकन (एनकोडिंग) करें कि आपकी परीक्षण पुस्तिका की श्रृंखला A,B,C या D है। यदि परीक्षण पुस्तिका पर पुस्तिका की श्रृंखला मुद्रित नहीं है, अथवा आपकी ओएमआर शीट पर संख्याअंकित नहीं है तो कृपया इसकी जानकारी संबंधित निरीक्षक को तत्काल प्रदान करें और अपनी परीक्षण पुस्तिका/ ओएमआर शीट को बदलवाएं।

3.3 प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा परीक्षण पुस्तिका की श्रृंखला की एनकोडिंग वही होनी चाहिए, जो निरीक्षक द्वारा ओएमआर शीट के बाएं कोने में निर्धारित स्थान पर की गई हो। यह एनकोडिंग परीक्षण पुस्तिका के कवर पेज पर मुद्रित श्रृंखला के संदर्भ में होनी चाहिए।

3.4 अनुक्रमांक लिखने में किसी प्रकार के संशोधन और परिवर्तन की स्थिति में, उम्मीदवार के साथ-साथ निरीक्षक द्वारा आद्यक्षर किए जाने चाहिए और यह पर्यवेक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित भी होना चाहिए।

3.5 परीक्षा प्रारंभ होने के तत्काल बाद उम्मीदवारों को चाहिए कि वह उन्हें प्रदान की गई परीक्षण पुस्तिका के संबंध में यह जांच लें और सुनिश्चित कर लें कि उसमें कोई पृष्ठ अमुद्रित अथवा फटा हुआ अथवा कोई पृष्ठ अथवा अन्य सामग्री गायब नहीं है और यदि ऐसा हो तो इसकी जानकारी निरीक्षक को तत्काल प्रदान करें और इसके स्थान पर उसी श्रृंखला की पूर्ण परीक्षण पुस्तिका प्राप्त करें।

3.6 उम्मीदवार मांगी गई सूचना के अतिरिक्त ओएमआर शीट/परीक्षण पुस्तिका पर अपना नाम या किसी प्रकार की और कोई बात नहीं लिखेगा।

3.7 उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि हैंडलिंग के दौरान ओएमआर शीट न मुड़े, न फटे और न ही किसी अन्य प्रकार से खराब हो। ओएमआर शीट पर किसी प्रकार की बाहरी मार्किंग नहीं होनी चाहिए।
3.8 उम्मीदवार को ओएमआर शीट से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए या अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए। ऐसा करने पर उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

3.9 उम्मीदवार यह नोट करें कि ओएमआर शीट में विवरण भरने/अंकित करने के मामले में, विशेषकर अनुक्रमांक तथा परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड करने के संदर्भ में, किसी प्रकार की चूक/गलती/विसंगति की स्थिति में ओएमआर शीट को अस्वीकृत किया जा सकता है।

<u>परीक्षा हॉल में किस सामान की अनुमति है तथा किसकी नहीं है</u>

4. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना **काला बॉल प्वाइंट पेन** साथ लाएं। उम्मीदवार, उत्तर पुस्तिका पर उत्तरों का अंकन करने के लिए केवल **काले बॉल प्वाइंट पेन** का ही इस्तेमाल करें।

4.1 किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा-स्थल पर मोबाइल फोन और अन्य आईटी गैजेटों, किताबों, बैग आदि के साथ प्रवेश की अनुमति नहीं होगी और परीक्षा-स्थल पर इन सामग्रियों को रखने का कोई प्रबंध नहीं किया जाएगा। उपर्युक्त अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर उम्मीदवार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें भविष्य में आयोजित किए जाने वाले परीक्षणों पर प्रतिबंध शामिल है।

4.2 भर्ती परीक्षण समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों को, उन्हें दी गई परीक्षण पुस्तिका अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।

4.3 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे कीमती/मूल्यवान सामान परीक्षा भवन में न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इस संबंध में हुए नुकसान के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

4.4 उम्मीदवारों के लिए मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य नहीं है।

4.5 हालांकि, परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े प्राधिकारियों के कहने पर सत्यापन के प्रयोजनार्थ उम्मीदवारों को अपना फेस मास्क हटाना होगा।

4.6 उम्मीदवारपारदर्शी बोतल में अपने साथ हैंड सैनीटाइजर (छोटे आकार का) ला सकते हैं।

4.7 उम्मीदवारों को परीक्षा भवन/कक्ष के साथ-साथ परीक्षा-स्थल के परिसर में,'सामाजिक दूरी' और 'निजी साफ-सफाई' के संबंध में कोविड-19 मानदंडों का पालन करना होगा।

<u>सामान्य अनुदेश</u>

5. उम्मीदवार यह नोट करें कि परीक्षण में उनका प्रवेश पूर्णतः"अनंतिम" है।

5.1उम्मीदवार को मात्र ई-प्रवेश पत्र जारी करने का अर्थ यह नहीं है कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अंतिम रूप से मान ली गई है अथवा आवेदक द्वारा परीक्षण हेतु उसके आवेदन प्रपत्र में दर्ज की गयी प्रविष्टियां आयोग द्वारा सत्य और सही रूप में स्वीकार कर ली गई हैं।

5.2 उम्मीदवार यह नोट करें कि आयोग मूल दस्तावेज से केवल उन उम्मीदवारों की पात्रता संबंधी शर्तों अर्थात् आयु, शैक्षणिक योग्यता, समुदाय आदि का सत्यापन करता है, जो भर्ती परीक्षण में अर्हक होते हैं। जब तक आयोग द्वारा उम्मीदवार की उम्मीदवारी की औपचारिक रूप से पुष्टि नहीं कर दी जाती है तब तक उसकी उम्मीदवारी "अनंतिम" बनी रहती है।

5.3 उम्मीदवार यह भी नोट करें कि ई-प्रवेश पत्र जारी करने के पश्चात किसी भी चरण अथवा परीक्षण के पहले या बाद में किसी अपात्रता का पता चलता है या विज्ञापन में दिए गए नियमों और अनुदेशों में निर्धारित शर्तों या किसी चरण में मांगी गई अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेजों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनुपालन नहीं किया गया है तब उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।

5.4 यात्रा संबंधी खर्च या अन्य प्रकार के व्यय का वहन उम्मीदवार स्वयं करेंगे।

5.5 आयोग किसी भी उम्मीदवार के ठहरने और खान-पान का इंतजाम नहीं करता है।

<u>बेंचमार्क रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश</u>

6.(i) आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सहायक प्रोफेसर / लेक्चरर (शरीर-रचना विज्ञान) के पद हेतुछह रिक्तियां(अ.ज.जा-01, अ.पि.व.-01, ईडब्ल्यूएस-01, अना.-03) (पीडब्ल्यूबीडी - 01)*[विज्ञापन सं. 11/2023,रिक्ति सं. 23061105110]

*छह रिक्तियों में से एक रिक्तिबेंचमार्क रूप से दिव्यांग व्यक्तियों(पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी अर्थात् ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता तथा मानसिक रुग्णता सहित दिव्यांगताअर्थात् ऑटिज्म स्पेक्ट्रम दिव्यांगता **(एएसडी) (एम** = **हल्का, एमओडी** = **मध्यम)**या विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता **(एसएलडी)** या मानसिक रुग्णता**(एमआई)** या बहुदिव्यांगता **(एमडी)** अर्थात्उक्त दिव्यांगताओं की श्रेणियों में से कम-से-कम दो दिव्यांगताओं वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। ये रिक्तियां बेंचमार्क रूप से दिव्यांग व्यक्तियों की श्रेणी (पीडब्ल्यूबीडी) अर्थात् प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, कुष्ठ उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित सहित लोकोमोटर दिव्यांगता और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित दिव्यांगता अर्थात् एक पांव प्रभावित (दायां अथवा बायां) **(ओएल)** या एक हाथ प्रभावित (दायां अथवा बायां) **(ओए)**अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात **(सीपी)** याकुष्ठ उपचारित **(एलसी)** अथवाबौनापन **(डीडब्ल्यू)** अथवातेजाबी हमले से पीड़ित **(एएवी)**मस्कुलर डिस्ट्रॉफी **(एमडीवाई),**ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता तथा मानसिक रुग्णता सहित दिव्यांगताअर्थात् ऑटिज्म स्पेक्ट्रम दिव्यांगता **(एएसडी) (एम** = **हल्का, एमओडी** = **मध्यम)** या विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता **(एसएलडी)** या मानसिक रुग्णता **(एमआई)** या बहुदिव्यांगता **(एमडी)** अर्थात्उक्त दिव्यांगताओं की श्रेणियों में से कम-से-कम दो दिव्यांगताओं वाले उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त है।

(ii) आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार मेंसहायक प्रोफेसर / लेक्चरर (सामुदायिक चिकित्सा) के पद हेतुचार रिक्तियां(अ.जा-01, अ.पि.व.-02, अना.-01)[विज्ञापन सं. 11/2023,रिक्ति सं. 23061106110]

ये रिक्तियां बेंचमार्क रूप से दिव्यांग व्यक्तियों की श्रेणी (पीडब्ल्यूबीडी) अर्थात् प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, कुष्ठ उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित सहित लोकोमोटर दिव्यांगता और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित दिव्यांगता अर्थात् एक पांव प्रभावित (दायां अथवा बायां) **(ओएल)** या एक हाथ प्रभावित (दायां अथवा बायां) **(ओए)**अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात **(सीपी)** याकुष्ठ उपचारित **(एलसी)** अथवाबौनापन **(डीडब्ल्यू)** अथवातेजाबी हमले से पीड़ित **(एएवी)**मस्कुलर डिस्ट्रॉफी **(एमडीवाई),**ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता तथा मानसिक रुग्णता सहित दिव्यांगताअर्थात् ऑटिज्म स्पेक्ट्रम दिव्यांगता **(एएसडी) (एम** = **हल्का, एमओडी** = **मध्यम)** या विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता **(एसएलडी)** या मानसिक रुग्णता **(एमआई)** या बहुदिव्यांगता **(एमडी)** अर्थात्उक्त दिव्यांगताओं की श्रेणियों में से कम-से-कम दो दिव्यांगताओं वाले उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त हैं।

(iii) आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार मेंसहायक प्रोफेसर / लेक्चरर (प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान)के पद हेतुचार रिक्तियां(अ.जा-01, अ.पि.व.-02, अना.-01)[विज्ञापन सं. 11/2023,रिक्ति सं. 23061108110]

ये रिक्तियां बेंचमार्क रूप से दिव्यांग व्यक्तियों की श्रेणी (पीडब्ल्यूबीडी) अर्थात् प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, कुष्ठ उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित सहित लोकोमोटर दिव्यांगता और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित दिव्यांगता अर्थात् एक पांव प्रभावित (दायां अथवा बायां) **(ओएल)** या एक हाथ प्रभावित (दायां अथवा बायां) **(ओए)**अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात **(सीपी)** याकुष्ठ उपचारित **(एलसी)** अथवाबौनापन **(डीडब्ल्यू)** अथवातेजाबी हमले से पीड़ित **(एएवी)**मस्कुलर डिस्ट्रॉफी **(एमडीवाई),**ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता तथा मानसिक रुग्णता सहित दिव्यांगताअर्थात् ऑटिज्म स्पेक्ट्रम दिव्यांगता **(एएसडी) (एम = हल्का, एमओडी = मध्यम)** या विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता **(एसएलडी)** या मानसिक रुग्णता **(एमआई)** या बहुदिव्यांगता **(एमडी)** अर्थात्उक्त दिव्यांगताओं की श्रेणियों में से कम-से-कम दो दिव्यांगताओं वाले उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त हैं।

(iv) आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार मेंसहायक प्रोफेसर / लेक्चरर (विकृति विज्ञान एवं सूक्ष्म जीव-विज्ञान)के पद हेतुचार रिक्तियां(अ.ज.जा-01, अ.पि.व.-01, ईडब्ल्यूएस-01, अना.-01)[विज्ञापन सं. 11/2023,रिक्ति सं. 23061114110]

ये रिक्तियां बेंचमार्क रूप से दिव्यांग व्यक्तियों की श्रेणी (पीडब्ल्यूबीडी) अर्थात् प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, कुष्ठ उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित सहित लोकोमोटर दिव्यांगता और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित दिव्यांगता अर्थात् एक पांव प्रभावित (दायां अथवा बायां) **(ओएल)** या एक हाथ प्रभावित (दायां अथवा बायां) **(ओए)**अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात **(सीपी)** याकुष्ठ उपचारित **(एलसी)** अथवाबौनापन **(डीडब्ल्यू)** अथवातेजाबी हमले से पीड़ित **(एएवी)**मस्कुलर डिस्ट्रॉफी **(एमडीवाई),**ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता तथा मानसिक रुग्णता सहित दिव्यांगताअर्थात् ऑटिज्म स्पेक्ट्रम दिव्यांगता **(एएसडी) (एम = हल्का, एमओडी = मध्यम)** या विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता **(एसएलडी)** या मानसिक रुग्णता **(एमआई)** या बहुदिव्यांगता **(एमडी)** अर्थात्उक्त दिव्यांगताओं की श्रेणियों में से कम-से-कम दो दिव्यांगताओं वाले उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त हैं।

(v) आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार मेंसहायक प्रोफेसर / लेक्चरर (जैव रसायन सहित शरीर क्रिया विज्ञान)के पद हेतुपांच रिक्तियां(अ.जा-01, अ.पि.व.-01, ईडब्ल्यूएस-01, अना.-02) (पीडब्ल्यूबीडी-01)*[विज्ञापन सं. 1 1/2023,रिक्ति सं. 23061113110]

*पांच रिक्तियों में से एक रिक्ति बेंचमार्क रूप से दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी अर्थात् प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, कुष्ठ उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित सहित लोकोमोटर दिव्यांगता और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित दिव्यांगता अर्थात् एक पांव प्रभावित (दायां अथवा बायां) **(ओएल)** या एक हाथ प्रभावित (दायां अथवा बायां) **(ओए)**अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात **(सीपी)** याकुष्ठ उपचारित **(एलसी)** अथवाबौनापन **(डीडब्ल्यू)** अथवातेजाबी हमले से पीड़ित **(एएवी)**मस्कुलर डिस्ट्रॉफी **(एमडीवाई)**वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। ये रिक्तियां बेंचमार्क रूप से दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी अर्थात् प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, कुष्ठ उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित सहित लोकोमोटर दिव्यांगता और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित दिव्यांगता अर्थात् एक पांव प्रभावित (दायां अथवा बायां) **(ओएल)** या एक हाथ प्रभावित (दायां अथवा बायां) **(ओए)**अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात **(सीपी)** याकुष्ठ उपचारित **(एलसी)** अथवाबौनापन **(डीडब्ल्यू)** अथवातेजाबी हमले से पीड़ित **(एएवी)**मस्कुलर डिस्ट्रॉफी **(एमडीवाई),** ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता तथा मानसिक रुग्णता सहित दिव्यांगताअर्थात् ऑटिज्म स्पेक्ट्रम दिव्यांगता **(एएसडी) (एम = हल्का, एमओडी = मध्यम)** या विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता **(एसएलडी)** या मानसिक रुग्णता **(एमआई)** या बहुदिव्यांगता **(एमडी)** अर्थातउक्त दिव्यांगताओं की श्रेणियों में से कम-से-कम दो दिव्यांगताओंवाले उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त हैं।

(vi) आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार मेंसहायक प्रोफेसर / लेक्चरर (न्याय वैद्यकीय एवं विष-विज्ञान)के पद हेतुचार रिक्तियां(अ.जा-01, अ.पि.व.-01,अना.-02)[विज्ञापन सं. 11/2023,रिक्ति सं. 23061107110]

*चार रिक्तियों में से एक रिक्ति बेंचमार्क रूप से दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी अर्थात् प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, कुष्ठ उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित सहित लोकोमोटर दिव्यांगता और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित दिव्यांगता अर्थात् एक पांव प्रभावित (दायां अथवा बायां) **(ओएल)** या एक हाथ प्रभावित (दायां अथवा बायां) **(ओए)**अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात **(सीपी)**याकुष्ठ उपचारित **(एलसी)** अथवाबौनापन **(डीडब्ल्यू)** अथवातेजाबी हमले से पीड़ित **(एएवी)**मस्कुलर डिस्ट्रॉफी **(एमडीवाई)** वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है।ये रिक्तियां बेंचमार्क रूप से दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी अर्थात् प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, कुष्ठ उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित सहित लोकोमोटर दिव्यांगता और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित दिव्यांगता अर्थात् एक पांव प्रभावित (दायां अथवा बायां) **(ओएल)** या एक हाथ प्रभावित (दायां अथवा बायां) **(ओए)**अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात **(सीपी)** याकुष्ठ उपचारित **(एलसी)** अथवाबौनापन **(डीडब्ल्यू)** अथवातेजाबी हमले से पीड़ित **(एएवी)**मस्कुलर डिस्ट्रॉफी **(एमडीवाई),** ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता तथा मानसिक रुग्णता सहित दिव्यांगताअर्थात् ऑटिज्म स्पेक्ट्रम दिव्यांगता **(एएसडी) (एम = हल्का, एमओडी = मध्यम)** या विशिष्ट

अधिगम दिव्यांगता **(एसएलडी)** या मानसिक रुग्णता **(एमआई)** या बहुदिव्यांगता **(एमडी)** अर्थात्उक्त दिव्यांगताओं की श्रेणियों में से कम-से-कम दो दिव्यांगताओं वाले उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त हैं।

(vii)आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार मेंसहायक प्रोफेसर / लेक्चरर (शल्य विज्ञान) के पद हेतुचार रिक्तियां(अ.जा-01, अ.पि.व.-01, अना.-02)[विज्ञापन सं. 11/2023,रिक्ति सं. 23061116110]

ये रिक्तियां बेंचमार्क रूप से दिव्यांग व्यक्तियों की श्रेणी (पीडब्ल्यूबीडी) अर्थात् प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, कुष्ठ उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित सहित लोकोमोटर दिव्यांगता और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित दिव्यांगता अर्थात् एक पांव प्रभावित (दायां अथवा बायां) **(ओएल)** या एक हाथ प्रभावित (दायां अथवा बायां) **(ओए)**अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात **(सीपी)** याकुष्ठ उपचारित **(एलसी)** अथवाबौनापन **(डीडब्ल्यू)** अथवातेजाबी हमले से पीड़ित **(एएवी)**मस्कुलर डिस्ट्रॉफी **(एमडीवाई),**ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता तथा मानसिक रुग्णता सहित दिव्यांगताअर्थात् ऑटिज्म स्पेक्ट्रम दिव्यांगता **(एएसडी) (एम** = **हल्का, एमओडी** = **मध्यम)** या विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता **(एसएलडी)** या मानसिक रुग्णता **(एमआई)** या बहुदिव्यांगता **(एमडी)** अर्थात्उक्त दिव्यांगताओं की श्रेणियों में से कम-से-कम दो दिव्यांगताओं वाले उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त हैं।

(viii)आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार मेंसहायक प्रोफेसर / लेक्चरर (चिकित्सा अभ्यास) के पद हेतुसात रिक्तियां(अ.जा-01, अ.ज.जा-01, अ.पि.व.-02, ईडब्ल्यूएस-01, अना.-02)[विज्ञापन सं. 11/2023,रिक्ति सं. 23061112110]

ये रिक्तियां बेंचमार्क रूप से दिव्यांग व्यक्तियों की श्रेणी (पीडब्ल्यूबीडी) अर्थात् प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, कुष्ठ उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित सहित लोकोमोटर दिव्यांगता और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित दिव्यांगता अर्थात् एक पांव प्रभावित (दायां अथवा बायां) **(ओएल)** या एक हाथ प्रभावित (दायां अथवा बायां) **(ओए)**अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात **(सीपी)** याकुष्ठ उपचारित **(एलसी)** अथवाबौनापन **(डीडब्ल्यू)** अथवातेजाबी हमले से पीड़ित **(एएवी)**मस्कुलर डिस्ट्रॉफी **(एमडीवाई),**ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता तथा मानसिक रुग्णता सहित दिव्यांगताअर्थात् ऑटिज्म स्पेक्ट्रम दिव्यांगता **(एएसडी) (एम** = **हल्का, एमओडी** = **मध्यम)** या विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता **(एसएलडी)** या मानसिक रुग्णता **(एमआई)** या बहुदिव्यांगता **(एमडी)** अर्थात्उक्त दिव्यांगताओं की श्रेणियों में से कम-से-कम दो दिव्यांगताओं वाले उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त हैं।

6.1 भर्ती के इस चरण में, उम्मीदवारों को ऑनलाइन भर्ती आवेदन (ओआरए) प्रणाली में उनकेद्वारा प्रदान किए गए विवरण के आधार पर भर्ती परीक्षण में प्रवेश दिया गया है।

6.2 जिन उम्मीदवारों ने बेंचमार्क रूप से दिव्यांग होने का दावा किया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापन में यथाउल्लिखित दिव्यांगता श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं।

6.3 उम्मीदवार यह अवश्य नोट कर लें कि ई-प्रवेश पत्र जारी किए जाने के उपरांत किसी भी चरण में उम्मीदवार के पात्र नहीं पाए जाने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

6.4 दो घंटे की अवधि वाले भर्ती परीक्षण में बैठने वाले कतिपय श्रेणियों जैसे लोकोमोटर अक्षमता और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (एलडीसीपी)के दिव्यांग उम्मीदवार, जिनकी कार्य-निष्पादन क्षमता (लेखन) प्रभावित (न्यूनतम 40 % अक्षमता) है/ दृष्टिहीन या आंशिक रूप से दृष्टिहीन हैं, उन्हें स्क्राइब की सहायता के साथ-साथ प्रतिपूरक समय के रूप में 20 मिनट प्रति घंटे की दर से अर्थात् कुल 40 मिनट का समय प्रदान किया जाएगा, यदि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में इसका विकल्प दिया हो।

6.5 भर्ती परीक्षण में शामिल होने वाले बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए स्क्राइब की सुविधाः

(i) उम्मीदवारों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखने होंगे। किसी भी परिस्थिति में उन्हें उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, दृष्टिहीन,लोकोमोटर दिव्यांगता (दोनों हाथ प्रभावित-बीए) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों के अंतर्गत बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार स्क्राइब की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम,2016 की धारा 2 (आर) के अंतर्गत यथापरिभाषित बेंचमार्क दिव्यांगता की अन्य श्रेणियों के उम्मीदवार,**अनुबंध-I** पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार की लेखन क्षमता प्रभावित है तथा उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए स्क्राइब की सेवाएं लेना अनिवार्य है, स्क्राइब की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे।इसके अतिरिक्त, विशिष्ट दिव्यांगता वाले वे व्यक्ति जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम,2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, को **अनुबंध- III** में दिए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार की लेखन क्षमता प्रभावित है तथा उसकी ओर से परीक्षा में

लिखने के लिए स्क्राइब की सेवाएं लेना अनिवार्य है, ऐसे उम्मीदवार स्क्राइब की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(ii) उम्मीदवार अपना स्क्राइब लाने या आयोग को इसके लिए अनुरोध करने के संबंध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं। स्क्राइब का विवरण अर्थात क्या अपना स्क्राइब ला रहे है या आयोग के स्क्राइब की सेवाएं लेंगे और यदि उम्मीदवार अपना स्क्राइब लाना चाहते हैं, तो तत्संबंधी विवरण ऑनलाइन आवेदन करते समय अनुबंध- II(40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों के लिए) तथा अनुबंध- IV (जिन उम्मीदवारोंकी दिव्यांगता 40% से कम है और जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है)के प्रपत्र में मांगा जाएगा।

(iii)आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए स्क्राइब अथवा स्वयं के स्क्राइब की योग्यता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता मानदंड से अधिक नहीं होगी। तथापि, स्क्राइब की योग्यता सदैव मैट्रिक अथवा इससे अधिक होनी चाहिए।

(iv) दृष्टिहीन, लोकोमोटर दिव्यांगता (दोनोंहाथप्रभावित - बीए) औरप्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियोंकेअंतर्गतबेंचमार्कदिव्यांगतावालेउम्मीदवार,भर्ती परीक्षणकेप्रत्येकघंटे में20मिनटप्रतिपूरकसमयप्राप्त करने के पात्र होंगे।बेंचमार्कदिव्यांगताकीअन्यश्रेणियोंकेउम्मीदवार,अनुबंध- Iपरदिएगएप्रपत्रकेअनुसारकिसीसरकारीस्वास्थ्यदेखभालसंस्थानकेमुख्यचिकित्साअधिकारी/ सिविलसर्जन / चिकित्साअधीक्षकद्वाराजारीइसआशयकाप्रमाण-पत्रप्रस्तुतकिएजानेपरकिसंबंधितउम्मीदवारकी लेखन क्षमता प्रभावित है, यहसुविधाप्राप्त करने के पात्र होंगे।इसके अतिरिक्त, विशिष्ट दिव्यांगता वाले वे व्यक्ति जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम,2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, को अनुबंध -III में दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार की लेखन क्षमता प्रभावित है, प्रतिपूरक समय प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(v) पात्र उम्मीदवारों को, मांग किए जाने पर स्क्राइब की सुविधा तथा/या प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा।

मोबाइल फोन तथा इस प्रकार के आईटी गैजेट्स परीक्षण-स्थल पर प्रतिबंधित हैं ।

अनुबंध-I

<u>परीक्षार्थी की लेखन संबंधी शारीरिक सीमा दर्शाने वाला प्रमाण-पत्र</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती………………………………………………… (बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवार का नाम), जो …………….. (दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में उल्लिखित दिव्यांगता की प्रकृति और प्रतिशत) से ग्रस्त व्यक्ति हैं, पुत्र/पुत्री …………………………………………....., निवासी ……………………………….......... (ग्राम/जिला/राज्य) हैं, की जांच की है और उल्लेख किया जाता है कि इनकी उक्त दिव्यांगता इनके लिए बाधक है जो इनकी लेखन क्षमता को प्रभावित करती है।

हस्ताक्षर
सरकारी स्वास्थ्य देख-भाल संस्था का मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/
चिकित्सा अधीक्षक

नोटः प्रमाण-पत्र, संबंधित विषय/दिव्यांगता (जैसे दृष्टि बाधित – नेत्र रोग विशेषज्ञ, लोकोमोटर दिव्यांगता – हड्डी रोग विशेषज्ञ/पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा प्रदान किया गया होना चाहिए।

<u>अनुबंध–II</u>

<u>स्वयं के स्क्राइब का प्रयोग करने के लिए परिवचन पत्र</u>

<u>(उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन भरकर आयोग को प्रस्तुत किया जाए)</u>

मैं ……………………........, ... (दिव्यांगता का नाम) से ग्रसित एक उम्मीदवार हूं, जो .... (परीक्षा का नाम) अनुक्रमांक............, ... (परीक्षा केन्द्र का नाम) जिला ...., ... (राज्य का नाम) में शामिल हो रहा हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यता .... है।

मुझे एतद्द्वारा यह भी कहना है कि उक्त परीक्षा को लिखने के लिए अधोहस्ताक्षरी की ओर से .... (स्क्राइब का नाम) स्क्राइब/रीडर/लैब सहायक की सेवा प्रदान करेगा।

मैं एतद्द्वारा परिवचन देता हूं कि इनकी योग्यता .... है। यदि बाद में यह पता चलता है कि इनकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी की घोषणा के अनुसार नहीं है और मेरी योग्यता से अधिक है, तो मैं इस पद के लिए अपने अधिकार तथा अपने दावे का प्रयोग नहीं करूंगा।

(दिव्यांग उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

स्थानः

दिनांकः

अनुबंध-III

विशिष्ट दिव्यांगता वाले उन व्यक्तियों के लिए प्रमाण-पत्र, जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम,2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति तथाजिन्हें लिखने में कठिनाई होती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/सुश्री/श्रीमती ……………………………………………...…(उम्मीदवार कानाम), पुत्र/पुत्री ………………………………………, निवासी …………................. (ग्राम/पोस्ट ऑफिस/पुलिस थाना/जिला/राज्य), आयु ………. वर्ष की जांच की हैजो .... (दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) से ग्रस्तव्यक्ति हैं और यह उल्लेख किया जाता है कि इनकी उक्त स्थिति इनके लिए बाधक है जो इनकी लेखनक्षमता को प्रभावित करती है। इन्हें परीक्षालिखने के लिए स्क्राइब की सहायता की आवश्यकता है।

क. उक्त उम्मीदवार स्क्राइब की सहायता के साथ उपादानों एवं सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स, श्रवण यंत्र (नाम का उल्लेख करें) काउपयोग करता है, जो उम्मीदवार के लिए परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य हैं।

ख. यह प्रमाण-पत्र, केवलभर्ती एजेंसियों और शैक्षिक संस्थाओं द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में शामिल होने के प्रयोजन हेतु जारी किया जाता है तथा यह दिनांक .... तक मान्य है (यह अधिकतम छह माह या इससे कम अवधि, जैसा भी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए, के लिए मान्य है।)

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)
हड्डी रोग विशेषज्ञ/ पीएमआर	नैदानिक मनोविज्ञानी (क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट)/ पुनर्वासमनोविज्ञानी	न्यूरोलॉजिस्ट(यदि उपलब्ध है)	ऑक्यूपेशनल थिरेपिस्ट (यदि उपलब्ध है)	अन्य विशेषज्ञ, अध्यक्षद्वारा यथा नामित (यदिकोई हो)

विशेषज्ञ	(रिहैबिलिटेशनसाइकोलॉजिस्ट)/मनोरोग विज्ञानी/विशेष शिक्षक (स्पेशल एड्यूकेटर)			
(हस्ताक्षर एवं नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी …………………... अध्यक्ष				

मुहर सहित सरकारी अस्पताल/
स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र का नाम

स्थान:
दिनांक:

<u>अनुबंध-IV</u>

<u>विशिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति, जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम,2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों तथाजिन्हें लिखने में कठिनाई होती है,द्वारा दिया जाने वाला परिवचन पत्र।</u>

मैं …………………........, ... (दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) से ग्रसित एक उम्मीदवार हूं, जो .... (परीक्षा का नाम) में अनुक्रमांक संख्या ...., ... (परीक्षा केन्द्र का नाम) जिला ...., ... (राज्य का नाम) में शामिल हो रहा हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यता .... है।

2. मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि उक्त परीक्षा को लिखने के लिए अधोहस्ताक्षरी की ओर से .... (स्क्राइब का नाम) स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं परिवचन देता हूं कि इनकी योग्यता .... है, यदि बाद में यह पता चलता है कि इनकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी की घोषणा के अनुसार नहीं है और मेरी योग्यता से अधिक है तो मैं इस पद के लिए अपने अधिकार या प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री तथा अपने दावे का प्रयोग नहीं करूंगा।

(उम्मीदवार का हस्ताक्षर)

स्थान:
दिनांक:

संघ लोक सेवा आयोग

अनुशेष- उम्मीदवारों को नोटिस

विषय: निम्नलिखित भर्ती हेतु सम्मिलित भर्ती परीक्षण:

(i) आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सहायक प्रोफेसर / लेक्चरर (शरीर-रचना विज्ञान) के पद हेतु छह रिक्तियां (अ.ज.जा-01, अ.पि.व.-01, ईडब्ल्यूएस-01, अना.-03) (पीडब्ल्यूबीडी - 01)* [विज्ञापन सं. 11/2023, रिक्ति सं. 23061105110]

(ii) आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सहायक प्रोफेसर / लेक्चरर (सामुदायिक चिकित्सा) के पद हेतु चार रिक्तियां (अ.जा-01, अ.पि.व.-02, अना.-01) [विज्ञापन सं. 11/2023, रिक्ति सं. 23061106110]

(iii) आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सहायक प्रोफेसर / लेक्चरर (प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान) के पद हेतु चार रिक्तियां (अ.जा-01, अ.पि.व.-02, अना.-01) [विज्ञापन सं. 11/2023, रिक्ति सं. 23061108110]

(iv) आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सहायक प्रोफेसर / लेक्चरर (विकृति विज्ञान एवं सूक्ष्म जीव-विज्ञान) के पद हेतु चार रिक्तियां (अ.ज.जा-01, अ.पि.व.-01, ईडब्ल्यूएस-01, अना.-01) [विज्ञापन सं. 11/2023, रिक्ति सं. 23061114110]

(v) आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सहायक प्रोफेसर / लेक्चरर (जैव रसायन सहित शरीर क्रिया विज्ञान) के पद हेतु पांच रिक्तियां (अ.जा-01, अ.पि.व.-01, ईडब्ल्यूएस-01, अना.-02) (पीडब्ल्यूबीडी-01) [विज्ञापन सं. 11/2023, रिक्ति सं. 23061113110]

(vi) आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सहायक प्रोफेसर / लेक्चरर (न्याय वैद्यकीय एवं विष-विज्ञान) के पद हेतु चार रिक्तियां (अ.जा-01, अ.पि.व.-01, अना.-02) [विज्ञापन सं. 11/2023, रिक्ति सं. 23061107110]

(vii) आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सहायक प्रोफेसर / लेक्चरर (शल्य विज्ञान) के पद हेतु चार रिक्तियां (अ.जा-01, अ.पि.व.-01, अना.-02) [विज्ञापन सं. 11/2023, रिक्ति सं. 23061116110]

(viii) आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सहायक प्रोफेसर / लेक्चरर (चिकित्सा अभ्यास) के पद हेतु सात रिक्तियां (अ.जा-01, अ.ज.जा-01, अ.पि.व.-02, ईडब्ल्यूएस-01, अना.-02) [विज्ञापन सं. 11/2023, रिक्ति सं. 23061112110]

****

आयोग ने उपरोक्त पदों के संबंध में उम् मीदवारों को लघु सूचीबद्ध करने के लिए **दिनांक 09.03.2024 (शनिवार) (पूर्वाह्न सत्र) को पूर्वाह्न 09.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे** तक एक ऑफलाइन पेन एवं पेपर आधारित **सम्मिलित भर्ती परीक्षण** आयोजित करने का निर्णय लिया है। केवल भर्ती परीक्षण के आधार पर लघु सूचीबद्ध किए गए तथा पद के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करने वाले उम् मीदवारों को ही साक्षात कार के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षण का केन्द्र, परीक्षण की योजना एवं पाठ्यक्रम निम्नानुसार है:-

परीक्षा केन्द्र	**केन्द्र कोड**
अहमदाबाद	01
भोपाल	04
चेन् नै	12
दिल् ली	08
दिसपुर (गुवाहाटी)	09
जयपुर	11
जम्मू	34
कोच्चि	24
कोलकाता	06
लखनऊ	26
मुम् बई	05
नागपुर	13
रांची	41
विशाखापट्टनम	51

I. **<u>परीक्षण की योजना:</u>**

क. परीक्षण दो घण्टे की अवधि का होगा।

ख. सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे।

ग. परीक्षण में बहुविकल्पीय उत्तर वाले वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे|

घ. परीक्षण का माध्यम केवल अंग्रेजी होगा।

ड़. गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंकों का प्रावधान होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न के कुल अंकों के एक तिहाई अंक काट लिए जाएंगे। यदि किसी प्रश्न के लिए कोई उत्तर नहीं चुना जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं होगा।

च. उक् त परीक्षण अधिकतम 300 अंकों का होगा।

II. **<u>परीक्षण का पाठ्यक्रम:</u>**

		1. चिकित्सा में अभ्यास (बाल रोग विज्ञान सहित) 2. प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान 3. शल्य विज्ञान 4. शरीर रचना विज्ञान 5. सूक्ष्म जीव विज्ञान एवं विकृति विज्ञान 6. शरीर क्रिया विज्ञान एवं जैव रसायन 7. न्याय वैद्यकीय एवं विष विज्ञान 8. निवारक एवं सामाजिक चिकित्सा

टिप्पणी- I: भर्ती परीक्षण संबंधी स् थल की सूचना उम्मीदवारों को यथा-समय दे दी जाएगी।

टिप्पणी- II: भर्ती परीक्षण के आधार पर लघु सूचीबद्ध किए गए तथा साक्षात कार में सफल उम् मीदवारों के लिए भर्ती परीक्षण और साक्षात्कार का वेटेज 75:25 होगा।

विभिन् न श्रेणियों से संबद्ध उम् मीदवारों के लिए साक्षात कार हेतु उपयुक् तता का स् तर निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

सामान् य/आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग	:	50 और अधिक
अन् य पिछड़ा वर्ग	:	45 और अधिक (शिथिल मानकों पर)
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	:	40 और अधिक (शिथिल मानकों पर)
पीडब्ल्यूडी (सामान्य/आर्थिक रुप से कमजोर/अ.पि.व./अ.जा./अ.ज.जा.)	:	40 और अधिक (शिथिल मानकों पर)

टिप्पणी- III: परीक्षण केन् द्र में परिवर्तन के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।